

HINDI SHIKSHA SAMITI

Address:-West Arjun Nagar Agra-282001 U.P.

Enclosure- 13

Land documents

865/122 21/02/2022

INDIA NON JUDICIAL

Stamp Vendor
SANJAY MITTAL
License No. 08
E-Stamping Acc. ID : UP14191904
Tehsil Agra, Dist. Agra

Government of Uttar Pradesh

9

₹3,600

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-UP64116085020944U
Certificate Issued Date : 08-Aug-2022 03:46 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14191904/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1419190420348850276981U
Purchased by : MANAGER HINDI SHIKSHA SAMITI
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : TWO AGRICULTURE LANDS ON KHASRA NO-269MI. AT MAUZA NANPUR AGRA
Consideration Price (Rs.) :
First Party : MANAGER RAMESH CHAND SHARMA MEMORIAL COLLEGE
Second Party : MANAGER HINDI SHIKSHA SAMITI
Stamp Duty Paid By : MANAGER HINDI SHIKSHA SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,600
(Three Thousand Six Hundred only)

सत्यमेव जयते

3,600*3,600*3,600*3,600

3,600*3,600*3,600*3,600

LOC

Please write or type below this line

JD 0013871689

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shikshastamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
2. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

प्रबन्धक
हिन्दी शिक्षा समिति
वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा

HINDI SHIKSHA SAMITI

Address:-West Arjun Nagar Agra-282001 U.P.

रामेन्द्र सिंह
शहर

रामेन्द्र सिंह
शहर तहसील, आगरा

—2—

किस्म दस्तावेज—
पट्टा किराया—
पट्टा अवधि—
स्टाम्प—

पट्टा विलेख/लीज डीड
6,000/-रूपया प्रति साल।
30 साल।
7,200/-रूपया का स्टाम्प इस प्रकार

अदा किया गया है कि मुवलिंग 3,600/-रूपया का ई-स्टाम्प जिसकी प्रमाण पत्र संख्या IN-UP64116085020944U जो दिनांक 08-08-2022 को जारी किया गया है। तथा 3600/-रु० का ई-स्टाम्प नम्बर IN-UP64871060634005U जो दिनांक 10-08-2022 को जारी किया है।

सम्पत्ति का विवरण— गाटा संख्या 268मि० रकवा 0.5761 हेक्टेयर व खसरा संख्या 269मि० रकवा 0.5186 हेक्टेयर कुल रकवा 1.0947 हेक्टेयर यानी 10947 वर्गमीटर वाके मौजा नानपुर तहसील व जिला आगरा में स्थित है जिसकी सीमायें इस प्रकार है—

पूरब— सडक व निकास
पश्चिम—खेत दीगर
उत्तर—सडक
दक्षिण—खेत दीगर

रामेन्द्र सिंह

रामेन्द्र सिंह

HINDI SHIKSHA SAMITI

Address:-West Arjun Nagar Agra-282001 U.P.

3

प्रथमपक्ष/लीज डीड दाता -
रमेश चन्द शर्मा मैमोरियल विद्यालय नानपुर आगरा द्वारा
सचिव/प्रबन्धक श्रीमती इन्द्रा शर्मा आधार नंबर -
343725738654 पेन नंबर- BFMPS2127C पत्नी रमेश चन्द
शर्मा निवासी 51/10ए-8/2 वेस्ट अर्जुन नगर तहसील व
जिला आगरा।
मो0नं0- 9917344428

एवं

द्वितीयपक्ष/लीज डीड ग्रहीता :- हिन्दी शिक्षा समिति वेस्ट
अर्जुन नगर आगरा द्वारा सचिव/प्रबन्धक श्रीमती इन्द्रा शर्मा
आधार नंबर - 343725738654 पेन नंबर- BFMPS2127C पत्नी
श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी - 51/10ए-8/2 वेस्ट अर्जुन
नगर तहसील व जिला आगरा।
मो0नं0- 9917344428


जो कि प्रथमपक्ष दो किता आराजी गाटा नंबर 268मि0 रकवा 0.
5761 हैक्टेयर व खसरा संख्या 269मि0 रकवा 0.5186 हैक्टेयर
कुल रकवा 10947 हैक्टेयर वाकै मौजा नानपुर तहसील सदर
जिला आगरा का जरिये यके बैनामा दिनांक 07.01.2011
दस्तावेज नंबर 187 व दोयमी बैनामा दिनांक 08.05.2012
दस्तावेज नंबर - 6671 के द्वारा मालिक काविज है जो तमाम
वारो से पाक साफ है जिसे मुकियर को हर तरह से मुन्तकिल
करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो कि उपरोक्त आराजी





HINDI SHIKSHA SAMITI

Address:-West Arjun Nagar Agra-282001 U.P.



HINDI SHIKSHA SAMITI

Address:-West Arjun Nagar Agra-282001 U.P.

5

4. यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है जो कि उक्त भूमि का लीज पर देने अथवा लेने में बाधक हो।

5. यह कि ये लीज दिनांक 08.08.2022 दिन सोमवार से 30 वर्षों हेतु अपरिवर्तनीय है 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को आगे की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं।

6. यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी गैर सरकारी अथवा व्यक्ति से वित्तिय देनदारियाँ शेष नहीं है यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है पाक साफ है।

7. यह कि द्वितीयपक्ष लीज ग्रहीता को इस भूमि को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि पर उपलब्ध भवन का अथवा निर्माण कराकर शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल आदि सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता/पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।

9. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान छात्रावास, अस्पताल के संचालन के क्रम में भवन निर्माण एवं



HINDI SHIKSHA SAMITI

Address:-West Arjun Nagar Agra-282001 U.P.

6

शैक्षणिक संस्थान संचालन हेतु सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

10. यह कि द्वितीयपक्ष लीज तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से संबंधित सभी विधिक टैक्स/शुल्म जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।

11. यह कि प्रथमपक्ष की आवश्यकता यदि द्वितीयपक्ष को किसी भी विधिक कार्य सरकारी एवं स्वामित के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पडती है तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा। एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

इस वास्ते प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को यह लीज डी अपनी राजी खुशी व सही होस हवास में खूब सोच समझकर पढ सुनकर कतई तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विदित हो कि दिनांक 08.08.2022 को प्रथमपक्ष ने मौजा नानपुर खसरा संख्या 268मि, रकवा 0.5761 हैक्टेयर व खसरा संख्या 269मि0 रकवा 0.5186 हैक्टेयर पूर्ण पर जमीनदारी विनाश अधिनियम की धारा 143क अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है। पक्षकारो के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारो की फोटो प्रमाणित रूबरू गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर द्वारा टाइप कर तैयार किया गया है विदित हो कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व गवाहान

